

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/105-A

दिनांक-24/04/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 11/2018-19 दिनांक 06.04.2018 द्वारा श्री अशोक कुमार तनेजा (लिंग नम्बर 4659), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोलायत, बीकानेर से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, वाणिज्य कर विभाग, बीकानेर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तनेजा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री तनेजा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 24.04.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री तनेजा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/105-A

दिनांक-24/04/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोलायत, बीकानेर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, वाणिज्य कर विभाग, बीकानेर।
3. श्री अशोक कुमार तनेजा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोलायत, बीकानेर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)